



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्री माधोपुर, (सीकर)
जिला - सीकर
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017, राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /18121077732
दिनांक: 22-06-2018
आवेदन का आधार नम्बर : 040417271912
आवेदन / परिवार के मुखिया का धामाशाह कार्ड संख्या : VNTSGTX

यह प्रमाणित किया जाता है कि

01. सुश्री रेखा पुत्र पुत्री श्री वीरवल सिंह बिजारनिया राजस्थान राज्य के जिला सीकर प्रता- वार्ड नं 04 टाणी डेरा राम सागर श्रीमाधोपुर के, की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/ करती है/ करते हैं।

02. उक्त सुश्री रेखा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03. उक्त सुश्री रेखा आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लिखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफा.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.पी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र कार्यान्वित किया जा सकेगा।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिनके सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परिक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION में Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 180125716805

राज्य के पिछड़े वर्ग के लिए राजस्थान सरकार के अधीन क्षेत्रों में नियुक्तियों और यहाँ तथा राज्य की केंद्रीय संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रायोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, श्री माधोपुर, (सीकर)

Signature valid

Digitally signed by B. AHM
LAL JAT
Date: 2018.06.22 17:31:47
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan

